

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला

क्रमांक:- स्था./2025/55

दिनांक:- 12/03/2025

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में इस कार्यालय के पूर्वदेश क्रमांक स्था./2025/34 दिनांक 12.02.2025 द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित "आंतरिक शिकायत समिति" में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1. श्रीमती नेहा शर्मा, अध्यक्ष
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला।
2. श्रीमती पारूल गहलोत, सदस्य
आशुलिपिक ग्रेड-II
3. श्री हरिकिशन व्यास, सदस्य
कार्यालय सहायक
4. श्रीमती सरोज सदस्य
क्लर्क ग्रेड-I
5. श्रीमती सुशीला बोहरा, सदस्य
अध्यक्ष, नेत्रहीन विकास संस्थान,
जोधपुर।

Solt
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला

क्रमांक:- स्था./2025/891

दिनांक:- 12/03/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. विशिष्ट एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र।
3. श्रीमती नेहा शर्मा, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला।
4. श्री/श्रीमती
5. श्रीमती सुशीला बोहरा, अध्यक्ष, नेत्रहीन विकास संस्थान, जोधपुर।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर जिला
12/03/2025